न्यायालय विशेष न्याायाधीश गैंगस्टर एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–१२,बदायूँ।

विशेष दाण्डिक वाद संख्या २९/२०१९

सरकार बनाम देवेन्द्र आदि

धारा २/३ गैंगस्टर एक्ट।

थाना इस्लामनगर, जिला बदायूँ ।

<u>निस्तारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा ३११ दं०प्र०सं०</u>

दिनांक ११.०२.२०२१

वादहू पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण देवेन्द्र, शफीक व हाकिम न्यायालय उपस्थित हैं। अभियोजन साक्षी भी उपस्थित है। अभियुक्तगण की तरफ से अन्तर्गत धारा ३११ दं०प्र०सं० प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया ।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के जिरह हेतु उपस्थित न होने के कारण जिरह निल की गयी है। आदेश फलक लिखे जाने के उपरान्त अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित न्यायालय आये और उनकी ओर से साक्षी से जिरह में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा ३११ दं०प्र०सं० प्रस्तुत किया गया । चूँकि अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व साक्षी न्यायालय में उपस्थित हैं और अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता जिरह करने को तैयार हैं, ऐसे में न्यायहित में अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा ३११ दं०प्र०सं० स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली वास्ते जिरह थोड़ी देर बाद पेश हो ।

विशेष न्याायाधीश गैंगस्टर एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–१२,बदायूँ।
११.०२.२०२१